न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 40/अ–20(3)/2021–22

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग
नीमच————————————आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन————————————अनावेदक

आदेश

(पारित दिनांक 23–09–2021)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र कं. 1803/कार्य/गंगाबावडी जलाशय/21 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा उल्लेखित किया कि गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि का क्षेत्र 39.84 हे. आकलित किया गया है । जिसमें से 0.441 हे. वन भूमि का डिनोटिफिकेशन पाया गया है । शेष बची वन भूमि 39.399 हे. में से अन्य किसी राज्य/वनविभाग के कक्ष का डिनोटिफिकेशन नही पाया गया है । पूर्व में तहसीलदार सिंगोली द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 17.02.2018 को वनमण्डलाधिकारी जिला नीमच व अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग नीमच एवं वन परिक्षेत्राधिकारी रतनगढ के साथ पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें उभयग्राम की प्रश्नाधीन भूमियों को वनमण्डलाधिकारी नीमच ने वन विभाग को आवंटन हेतु उपयुक्त पाया है। उसके उपरांत इस न्यायालय के प्रकरण कं. 10/अ–20(3)/2017–2018 द्वारा ग्राम लुंवा हल्का नं. 20 रेतपुरा रा.नि.वृत झांतला तहसील सिंगोली के सर्वे नं. 56,167 एवं 168 में रकबा 28.25 हे. एवं ग्राम फुसरिया तहसील सिंगोली के सर्वे नं. 1158 में रकबा 7.750 हे. कुल रकबा 36.00 हे. भूमि आबंटित की गई थी, जो वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है । उक्त भूमि आबंटन के पश्चात गंगाबावडी जलाशय योजना हेतु शेष 3.399 हे. वन भूमि के स्थान पर अन्य राजस्व/गैर वनभूमि और उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

2– प्रकरण में तहसीलदार मनासा द्वारा विधिवत जांच कर आदेशिका दिनांक 07.09.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पटवारी मौजा हांसपुर द्वारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के इस न्यायालय को प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा हांसपुर स्थित शासकीय भूमि जो वन विभाग को आबंटित की गई थी, उक्त भूमि के समीप अन्य राजस्व भूमि रकबा 3.399 हे. भूमि के आबंटन हेतु ग्राम हांसपुर के सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे. , सर्वे नं. 719पैकी रकबा 0.669 हे. भूमि नोईयत चरागाह की भूमि को गंगा बावडी जलाशय योजना के तहत रकबा 3.399 हे. भूमि वन विभाग को आबंटित किये जाने के पश्चात ग्राम हेतु न्युनतम संरक्षित चरागाह रकबा 2 प्रतिशत पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा ।
म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत निहित प्रावधानों अनुसार उक्त भूमि गंगा बावडी जलाशय योजना हेतु रकबा 3.399 हे. को आबंटित किया जाना उचित होगा ।

3– अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड–मनासा द्वारा तहसीलदार मनासा के प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2021 एवं 13.09.2021 से सहमत होकर प्रकरण में मौजा ग्राम हांसपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि वन विभाग को नियमानुसार हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

3 श्र

4– मेरे द्वारा प्रकरण पत्रिका का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया । विवेचना में पाया जाता है कि तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा द्वारा ग्राम हांसपुर स्थित भूमि सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे., सर्वे नं. 719पैकी रकबा 0.669 कुल रकबा 3.399 हे. नोईयत चरागाह को गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर गैर वन भूमि आबंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है । प्रकरण के समग्र विशलेषण में पाया कि मौजा पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रश्नाधीन भूमि चरागाह मद की है,जिसे आबंटन किये जाने पर 2 प्रतिशत चरागाह का रकबा प्रभावित नही होता है । प्रस्तावित भूमि का उपयोग लोकप्रयोजन हेतु किया जाना है । ऐसी स्थिति में प्रस्तावित भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कि जाना उचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मनासा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित भूमि सर्वे नं. 715 रकबा 1.230 हे., सर्वे नं. 716 रकबा 0.700 हे., सर्वे नं. 717 रकबा 0.800 हे., सर्वे नं. 719 में से रकबा 0.669 कुल रकबा 3.399 हे. भूमि को म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 237 के तहत चरागाह मद से ना.का.का. मद में परिवर्तित करते हुए गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर गैर वन भूमि म.प्र. शासन वन विभाग नीमच को निम्नलिखित शर्तो पर हस्तांतरित की जाती है:–

1. विभाग हस्तांतरित भूमि का उपयोग आदेश में उल्लेखित किये गये प्रयोजन अनुसार ही करेगा।
2. भूमि पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जायेगा ।
3. विभाग भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से हटकर नहीं करेगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।
4. विभाग को गंगाबावडी जलाशय योजना अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि प्राप्त करने उपरांत प्रभावित वन भूमि का आधिपत्य राजस्व विभाग को सौंपना होगा ।
5. उपरोक्त शर्तो का पालन नही होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

(मयंक अग्रवाल)
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क्र. 447/आर.टी.सी. / 2021 नीमच, दिनांक 23 – 09–2021

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
2– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल नीमच की ओर सूचनार्थ।
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4– तहसीलदार मनासा की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कराना सुनिश्चित करें ।
5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

23.9.2021